

राजस्थान सरकार
स्वास्थ्य शासन विभाग

क्रमांक:-प.४(ग)()नियम/डीएलबी/18/२५१२-२६।।। जयपुर, दिनांक- २६।३।२०१३
आयुक्त/अधिकारी अधिकारी
नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिकाएं
समस्त राजस्थान।

विषय:-लोक सभा आम चुनाव आचार संहिता दौरान किये जाने वाले कार्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि लोक सभा आम चुनाव आचार संहिता के दौरान निम्न कार्य नगरीय निकायों द्वारा नियमानुसार किये जा सकते हैं—

1. अधिनियम की धारा 194 के तहत नया भवन निर्मित करने, भवन को पुन निर्मित करने या भवन में तात्त्विक परिवर्धन करना आदि की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत भवन मानचित्र आवेदन को अधिनियम में निर्धारित समयावधि 2 माह में निस्तारित करना।
2. पूर्व में स्वीकृत आवासीय/व्यवसायिक योजनाओं में नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों में आवंटी/केता द्वारा यदि सभी देय भुगतान कर दिये हों तो पटटा जारी करना।
3. कृषि भूमि नियमन, निर्माण स्वीकृति, नामान्तरण आदि की सक्षम स्वीकृति के बाद पूर्ण राशि जमा हो गई हो तो पटटा/स्वीकृति पत्र जारी करना।
4. पूर्व में स्वीकृत विकास कार्य जिन पर कार्य शुरू हो गया हैं ऐसे कार्य जारी रखना।
5. प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स/निर्माण कार्यों की डी.पी.आर तैयार करवाना व उनका परीक्षण करते हुये अनुसोदन/अप्रेजल की कार्यवाही करना।
6. ड्राइंग, डिजाइन व विस्तृत एस्टीमेट तैयार करना।
7. स्वीकृत कार्य की लागत के आधार पर टेंडर डॉक्यूमेट तैयार करना व एमओयू का प्रारूप तैयार करना।
8. जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार तात्कालीन आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य करवाना।
9. भूमि विक्रय/नियमन के विधिसम्मत जारी किये गये पटटों का पंजीयन नहीं होने पर ऐसे पटटों का पुनर्वंध/नवीनीकरण करके पंजीकरण कराने का कार्य।
10. पटटों के नामान्तरण का कार्य।
11. आचार संहिता से प्रभावित नहीं होने वाले अन्य सामान्य दैनिक प्रकृति के कार्य, ताकि आम जनता को असुविधा नहीं हों।


(पवन अराड़ा)

निदेशक एवं सयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.४(ग)()नियम/डीएलबी/18/२६।१२-२६।।। जयपुर, दिनांक:- २६।३।२०१३
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय,
2. निजी सचिव, शासन रायिव, स्वास्थ्य शासन विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
4. सुरक्षित पत्रांवली


(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी